DEVI AHILYA VISHWAVIDYALAYA (DAVV), INDORE LLB 4 SEMESTER QUESTION PAPER

पांचवां प्रश्न पत्र 2012

प्रशासनिक विधि ADMINISTRATIVE LAW

नोट : कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक खण्ड से कम से कम एक प्रश्न करना अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Note: Attempt five questions in all. At least one question must be attempted from each section. All questions carry equal marks.

(खण्ड -अ Section-A)

1. शक्ति पृथ्क्करण के सिद्धान्त को समझाइए तथा बतलाइए कि इसे भारतीय संविधान में कहाँ तक समाहित किया गया है?

Explain doctrine of 'Separation of power' and state the extent up to which it has been included in Indian Constitution?

2. प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की परिभाषा दीजिए तथा उसकी प्रकृति की विवेचना कीजिए। प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के प्रमुख लक्षण क्या हैं ? प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के कार्य सामान्य न्यायालय के कार्य से किस प्रकार भिन्न हैं?

Define Administrative Tribunal. Discuss the nature and characteristics of Administrative Tribunal. In what respects the functions of Administrative Tribunal differs to that of common courts?

- 3. "विधि का शासन" की परिभाषा कीजिए। क्या भारतवर्ष में इस सिद्धान्त को अपनाया गया है? Define "Rule of Low" Has this doctrine been applied in India.
- 4. प्रशासनिक विधि और संवैधानिक विधि में अंतर स्पष्ट कीजिए।

Distinguish between Administrative Law and Constitutional Law.

(खण्ड -ब Section-B)

5. उत्प्रेषण लेख की प्रकृति व क्षेत्र बताइए। यह प्रतिषेध लेख से किस तरह भिन्न हैं?

Give the nature and scope of the of certiorari How does it differ from the write of prohibition?

6. प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त से आपका क्या आशय है ? व्यक्ति अपने विवाद में स्वयं निर्णायक नहीं हो सकता। इस कथन की व्याख्या कीजिए।

What do you mean by the Principle of Natural Justice? "No can be Judge in the own case." Explain this statement.

7. लोक प्राधिकारियों की अपकृत्य में दायित्वों की विवेचना कीजिए।

Discuss the liabilities of public authorities in tort. .

8. बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख से आप क्या समझते हैं? इसके अर्थ, प्रकृति और उद्देश्य को समझाइए। What do you understand by Writ of Habcas Corpus? Explain its meaning, nature and objects.

(खण्ड-स Section-C)

9. "लोक अदालत" की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। लोक अदालत द्वारा मामलों का विचारण कैसे किया जाता है?

Explain the concept of Lok Adalat. How cognizance of cases are taken by "Lok Adalat?"

10. नारायण गोविन्द गेवेट वगैरह बनाम महाराष्ट्र राज्य वगैरह ए.आई.आर. 1977 एस.सी. 188 के तथ्य एवं प्रतिपादित विधि सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए।

State the facts and principles of law laid down in Narayan Govind Gavate etc. Vs. State of Maharashtra and Others A.I.R. 1977 S.C. 188.